

3/1/25 - पत्रावली पेश हुई। वारी आदि 370
 प्रकरण में वारी आदि परिणामी 1, 2, 3
 4, 5, 6, 7, 9, 10 के सम्म रजिस्टर्ड
 ऐसी वारा कबे पेश नहीं कसे पर
 आदेश 9 अगस्त 5 के नएन कार्यवली
 की प्रतिको पत्रावली 7/2/25 के पेश की
 87

7/2/25 पत्रावली पेश हुयी उभयपक्ष
 पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य से व्यस्त
 अवकाश में है। पत्रावली साबिक आदेश
 दिनांक 27/2/25 को पेश हो।
 आदेश से रिज

27/2/25 पत्रावली पेश हुयी उभयपक्ष
 पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य से व्यस्त
 अवकाश में है। पत्रावली साबिक आदेश
 दिनांक 18/3/25 को पेश हो।
 आदेश से रिज

18/3/25 पत्रावली पेश हुई। वारी आदि. उप.)
 जतिवारी सं. 1 अगा. 7 व. 9, 10 के
 सम्मन बाद तामील अज्ञान्त। वारी आदिबक्ला
 को न्यायादित में अंतिम अवसर वास्ते तलबी
 दिनांक पत्रावली दिनांक 28/4/25 को
 पेश हो।
 18/3/25

28/4/25 पत्रावली पेश हुई। वारी आदि. उप.) जतिवारीगाण
 के सम्मन तलबाने पेश नहीं। अंतिम अवसर
 दिनांक पत्रावली दिनांक 6/5/25 को पेश
 हो।
 28/4/25

6/5/25 पत्रावली पेश हुई। वारी एवं वारी आदि.
 अनुपस्थित। वारी एवं वारी आदिबक्ला को
 निप्रमानुसार तीन बार सावाजे लगवाई गई,
 परन्तु कोई उपस्थित नहीं आया। वारी एवं वारी

लगानार
 6/5/25
 सहायक कलेक्टर
 भीलवाड़ा

प्रकरण सं. 26/2022

देवी उन्नाव कौशा

हुकम या-कार्यवाही मय इनिशियल जज

नम्बर व तारीख
अदालतम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

दिनांक

6/5/25

आधिवक्ता को न्यायाधीन में पुनः एकबार आवाज
लगावाई गई, जल्द कोई स्पष्टीकरण नहीं आया। वही द्वारा
उत्तर बाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान कोशिका
आधिवक्ता को अदम लाकरी अदम पैरवी में खारिज
किया जा रहा है। विशेष सबे इपलास सुनाया गया।
इसकी प्रतीक्षा जारी है।
प्राबली फलल शुमार लेकर दाखिल
फरार ही तथा नम्बर से कम है।


6/5/25

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 नियम 6-7 जा0दी0)

न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी—अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस.

1. देवी पुत्र भूरा जाति लुहार उम्र वयस्क निवासी कोटड़ी दरीबा, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

बनाम

वादी

1. कैलाश पुत्र रामा जाति लुहार उम्र वयस्क निवासी कोटड़ी दरीबा, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. गीता पुत्री रामा जाति लुहार उम्र वयस्क निवासी कोटड़ी दरीबा, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
3. चम्पा पुत्री रामा जाति लुहार उम्र वयस्क निवासी कोटड़ी दरीबा, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
4. प्रभु पुत्र रामा जाति लुहार उम्र वयस्क निवासी कोटड़ी दरीबा, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
5. प्रेम पुत्र रामा जाति लुहार उम्र वयस्क निवासी कोटड़ी दरीबा, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
6. प्रेम देवी पत्नी नारायण उम्र वयस्क निवासी देवली राजोला, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
7. श्यामा पुत्र रामा जाति लुहार उम्र वयस्क निवासी कोटड़ी दरीबा, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
8. हरकलाल पुत्र मांगी लाल विश्नोई उम्र वयस्क निवासी लिलेण्ड चौराहा भीलवाड़ा
9. स्तपाल सिंह पिता दलपत सिंह राठोड़ उम्र वयस्क निवासी मालोला तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वाद बाबत विभाजन आराजियात

प्रकरण संख्या 26/2022 राजस्व वाद

वादी एवं वादी अधिवक्ता श्री मेहराज अली अनुपस्थित— इस वाद में आज तारीख 06.05.2025 को पीठासीन अधिकारी अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस. सहायक कलक्टर भीलवाड़ा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर निम्न आदेश दिया गया है, जिसके अन्तर्गत डिक्री दी जाती है—

वादी एवं वादी अधिवक्ता के न्यायालय में उपस्थित नहीं आने से वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को अदम हाजरी/अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।


6/5/25
(अरुण कुमार जैन)
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा